




भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS
केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE
मुंबई MUMBAI

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION
सं. No. 266/2025

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन **कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री)** को भारत में **16 दिसम्बर 2025** से 'भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

16 दिसम्बर 2025 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।


(गुणवीर सिंह)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)** is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as a 'Payment Aggregator' in India with effect from **December 16, 2025** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this **16th day of December 2025**.


(Gunveer Singh)

Chief General Manager-In-Charge



पिछले पृष्ठ पर दिया गया प्राधिकार का प्रमाणपत्र निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है:

The Certificate of Authorisation is being issued as overleaf subject to the following terms and conditions:

1.	<p>प्राधिकार का प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति भारत में कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) (भुगतान प्रणाली प्रदाता) के मुख्य परिसर और इसके अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।</p> <p>The Certificate of Authorisation or a certified copy thereof shall be displayed at the main premises of Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree) (Payment System Provider) and its other offices in India.</p>
2.	<p>प्राधिकार केवल भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय के लिए है। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों, उसके तहत जारी किए गए नियमों और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेगा।</p> <p>The Authorisation is only for Payment Aggregation business. Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree) shall adhere to the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act), regulations issued thereunder, and the directions / guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.</p>
3.	<p>₹ 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) एवं लागू जीएसटी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्राधिकरण शुल्क के रूप में जमा कराया गया है।</p> <p>A sum of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) plus applicable GST is deposited as authorisation fee with the Reserve Bank of India.</p>

